[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

<u>अधिसूचना सं 29/2017-केन्द्रीय कर</u>

नई दिल्ली, तारीख 5 सितंबर, 2017

सा.का.नि...............(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक तथा धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. 994(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं018/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 995(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं019/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017 और सा.का.नि. 996(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं0 20/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017 को अधिक्रांत करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, ब्यौरा या विवरणी देने की समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं0	मास	विवरणी/ब्यौरा	विवरणी/ब्यौरा देने की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जुलाई, 2017	प्ररूप जीएसटीआर-1	10 सितंबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-2	11-25 सितंबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-3	30 सितंबर, 2017 तक
2.	अगस्त, 2017	प्ररूप जीएसटीआर-1	5 अक्तूबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-2	6-10अक्तूबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-3	15 अक्तूबर, 2017

[फा0 सं0 349/74/2017-जीएसटी]

(शंकर प्रसाद शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार